न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 68/2016 **दायरा दिनांक : 18.03.2016**

उनवान

1— बालू सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्दरपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— अर्जुन सिंह आत्मज नाथू सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्दरपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— नारायण सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्दरपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— शोदान सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्दरपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3— मनोहर सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्दरपुरा का खेडा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री तंवर सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सतीश चन्द गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.02.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 197/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया ग्राम मिश्रोली में खतौनी संख्या नयी 371 पुरानी 519 खसरा नम्बर 1747 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1748 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1772 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 3 किता की 6 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित है । उक्त आराजी के खातेदार वादीगण है । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है फिर भी वो वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । यदि दौराने दावा कब्जा कर ले तो कब्जा हटाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.07.2015 को दावा वादीगण डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में रखा गया है जिसमें फरीकेन अनुपस्थित थे । उसको पुनः लोक अदालत में रखा गया जिसमें पक्षकारों ने राजीनामे से इंकार किया । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.07.2015 को अपीलांट को सूचित किये बिना लोक अदालत में दावा डिक्री किया है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 27.01.2016 को हुई उसके उपरान्त नकल प्राप्त की गई और फिर प्रार्थी अपीलांट बालू सिंह बीमार हो गया । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी की पालना नहीं की है, कोई राजीनामा नहीं हुआ था । फिर भी दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपील अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । रेकार्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि अनुकूल है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 खाता संख्या 371 सलंग्न है । पत्रावली जवाबदावे हेतु लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दिनांक 28.07.2015 को पक्षकारान अनुपस्थित थे और उसी दिन रेकार्ड देखकर निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण हो सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया गया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा